Date: 01/12/2023



केंद्रीय शुल्क के प्रधान आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE PRINCIPAL COMMISSIONER OF CENTRAL TAX
संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी CADRE CONTROLLING AUTHORITY
हैदराबाद जीएसटी आयुक्तालय HYDERABAD GST COMMISSIONERATE
जीएसटी भवन, एल बी स्टेडियम रोड, बशीर बाग, हैदराब - 500004
GST BHAVAN, L B STADIUM ROAD, BASHEERBAGH, HYDERABAD - 500004
Phone No.040-23241117 / 23240725 Fax No. 040-23299204
e-mail: cgst.hydcommr@gov.in, cgst.hydcca@gov.in



C.No.II/(3)/151/2023-CCA-O/o Pr COMMR-CGST-HYDERABAD

स्थापना आदेश (गैर राजपत्रित) सं. 151/2023 ESTABLISHMENT ORDER (N.G.O.) NO. 151/2023

विषय: स्थापना-केन्द्रीय कर एवं सीमा शुल्क, हैदराबाद / विशाखपट्टणम क्षेत्र के निरीक्षक संवर्ग में अनंतिम

नियुक्ति एवं तैनाती – संबन्धित

b: Estt. - Provisional Appointment and Posting in the cadre of Inspector of

Central Tax & Customs, Hyderabad/Visakhapatnam Zone- Regarding.

बोर्ड के पत्र फाइल सं. ए-12034/कचआ/07/2022-एडी.III (बी) दिनांक 08.08.2023 के अनुसार, संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा – 2022 (सीजीएलई) के परिणाम के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संस्तुत निम्नलिखित उम्मीदवारों को, अगले आदेश तक, हैदराबाद/विशाखपट्टण क्षेत्रों के साझा संवर्ग में केन्द्रीय कर निरीक्षक के पद पर, निरीक्षक संवर्ग के लिए समय-समय पर स्वीकार्य महंगाई व अन्य भत्तों के साथ सातवे वेतन आयोग के वेतन मट्टिक्स के अनुसार रु. 44,900/- के प्रावेशिक वेतन (लेवल - 7) में, जो रु. 9300 – 34800/- के पूर्व-संशोधित वेतनमान में पे-बैंड- 2 के अंतर्गत रु. 4600/- के ग्रेड-पे के समतुल्य है, अस्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है। अधिकारियों की अनंतिम नियुक्ति,इनके नामों के आगे दर्शाए गए आवंटित क्षेत्रों में इनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से प्रभावी होगी।

The following candidate recommended by the Staff Selection Commission on the basis of result of Combined Graduate Level Examination (CGLE)-2022 for the post of Inspector of Central Tax in the common cadre of Hyderabad/Visakhapatnam Zones, vide Board's letter File No. A-12034/SSC/07/2022-Ad.III(B) dated 08.08.2023, is hereby appointed as Inspector of Central Tax provisionally, until further orders in the entry pay of Rs. 44,900/- as per the Seventh CPC pay matrix (Level – 7) which corresponds to prerevised pay scale of Rs.9300 - 34800, under PB 2 with Grade Pay of Rs.4600/- and such dearness and other allowances as admissible to the Cadre of Inspector from time to time. His provisional appointment shall take effect from his date of joining in the Zone allotted against his names.

क्र सं S. No	अभ्यर्थी का नाम (श्री / सुश्री) Name of the candidate (Shri./Ms.)	जन्म तिथि Date of Birth	चयनित श्रेणी Category Selected	डीजीएचआरडी आदेश सं DGHRD Order No.	आवंटित क्षेत्र Zone Allotted
1	BHASHYAM VENKATA SAI KEDARNATH GOUD	19-08-1996	UR	Hyderabad GST & CX/CCO & CCA/INSPECTOR/ 89088	HYDERABAD

2. उम्मीदवारों को केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग निरीक्षक [वर्ग – ख (अराजपत्रित) अधिकारी] भर्ती नियम, 2016 एवं सीसीएस (आचरण) नियम, 1964, यथा संशोधित, के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा।

The Candidate will be governed by the provisions of the Central Excise and Customs Department Inspector [Group B (Non-Gazatted officers] Recruitment Rules, 2016 & CCS (Conduct) Rules, 1964 as amended.

- उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई होगी और अगले आदेशों तक लागू रहेगी।
 The above appointment will be purely on a temporary basis and until further orders.
- 4. उम्मीदवार अनंतिम नियुक्ति की तारीख से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। परिवीक्षा अवधि को संतोषजनक ढंग से पूरा करने और विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करने, स्थायीकरण के लिए आवश्यक प्रवेशन प्रशिक्षण पूर्ण करने के बाद उपरोक्त पद पर उनके स्थायीकरण पर विचार किया जाएगा। परिवीक्षा अवधि को विशेष मामलों में, सक्षम प्राधिकारी / नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर, केवल वास्तविक कारणों से, बढ़ाया जा सकता है।

The candidate shall be on probation for a period of two years from the date of provisional appointment. On completion of the probation period satisfactorily and on passing the Departmental Examination, completion of mandatory induction training for confirmation, he will be considered for confirmation in the said post. The period of probation will be extended in exceptional cases, only on bona-fide reasons, by the Cadre Controlling Authority/Appointing Authority.

5. केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थाई सेवा) नियमावली, 1965 के नियम 5(2)(ए) के अनुसार उम्मीदवारों की सेवाएँ, दोनों पक्षों की ओर से एक महीने के नोटिस पर, बिना कोई कारण बताए, समापनीय होंगी। तथापि, नियुक्ति प्राधिकारी को तत्काल या नोटिस की निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले उनकी सेवाएँ समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

The candidate's services will be terminable on one month's notice from either side in accordance with the Rule 5(2)(a) of Central Civil Service (Temporary Service) Rules, 1965, without assigning any reasons. The Appointing Authority, however, reserves the right of terminating his services forthwith or before the expiration of the stipulated period of notice.

6. छुट्टी, यात्रा भत्ते तथा सेवा-शर्तों से संबन्धित सभी अन्य मामलों के संबंध में, उम्मीदवीर, समय-समय पर लागू नियमों तथा आदेशों द्वारा नियंत्रित रहेंगे।

With regard to Leave, Travelling Allowances and all other matters connected with service conditions, the candidate is governed by the rules and the orders in force from time to time.

7. कार्यग्रहण करने पर उन्हें भारत के संविधान के प्रति निष्ठा-शपथ लेना होगा / इस आशय का सत्यनिष्ठा अभिकथन देना होगा।

On joining the post, the candidate will be required to take an Oath of allegiance to the Constitution of India or has to make a solemn affirmation to that effect.

8. उम्मीदवार निर्धारित वर्दी में रहेंगे और वर्दीधारी अधिकारियों से अपेक्षित सामान्य अनुशासन का अनुपालन करेंगे। वे गैर-आधिकारिक तौर पर आयोजित क्रियाकलापों या अनुशासनहीनता के रूप में लिए जाने वाले कार्यों में लिप्त नहीं होंगे।

The candidate shall equip themselves with prescribed Uniform and will be subjected to usual discipline that is expected of those in Uniform. They shall not indulge in activities not officially organized or in any manner considered as indiscipline.

9. यदि वे स्थाई सरकारी कर्मचारी नहीं हैं या तीन वर्ष की अस्थाई सेवा पूरी नहीं की हैं, तो वे उक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के लिए यात्रा भत्ते के हकदार नहीं होंगे।

The candidate will not be entitled to Travelling Allowance for joining the post unless he is permanent Government servant or has completed three years of temporary service.

10. भारत सरकार के अधीन सेवाओं में भर्ती के लिए लागू उपयुक्त नियमों के अनुसरण में;

In accordance with the relevant rules in force with regard to the recruitment to services under the Government of India;

- (क) कोई ऐसा व्यक्ति, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हो या जो, एक पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह कर लेता है, हालांकि पत्नी के जीवन-काल में घटित होने के कारण वह विवाह अमान्य हो,नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा बशर्ते कि केंद्र सरकार किसी व्यक्ति के संबंध में उपर्युक्त नियम के लागू होने से छूट दे सकती है, यदि वह संतुष्ट है कि ऐसे आदेश देने के विशेष कारण हैं।
- (a) No person who has more than one wife living or who, having a spouse living, contracts to a second marriage, though such marriage is void by reason of its taking place during the life-time of such spouse, shall be eligible for appointment to service, provided that the Central Government may, if satisfied that there are special grounds for so ordering, exempt any person from the operation of this rule.
- (ख) कोई ऐसी स्त्री, जिसकी शादी उसके पित के जीवन-काल में घटित होने के कारण से अमान्य हो या जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पत्नी उक्त विवाह से समय जीवित हो, नियुक्ति की पात्र नहीं होगी बशर्ते कि भारत सरकार ने संतृष्ट होकर कि ऐसा आदेश देने के विशेष कारण हैं, उसे छूट दी है।
- (b) No such woman whose marriage is void by reason of its taking place during the life-time of her spouse or who have married to such a person whose wife is living at the time of marriage shall be eligible for appointment in service unless the Government of India has granted exemption to such a woman in accordance with this rule after being satisfied that there are special grounds for so ordering.
- 11. यह अनंतिम नियुक्ति प्रस्ताव सशर्त है कि उम्मीदवार उपर्युक्त अपेक्षाओं को पूरा करें। अगर वे उपर्युक्त शर्तों को पूरा नहीं करते तथा किसी कारणवश उपर्युक्त नियमों से छूट प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें तत्काल इस आशय का अभ्यावेदन देना चाहिए। ऐसे मामले में यह अनंतिम नियुक्ति प्रस्ताव निरस्त माना जाए और आगे की सूचना यथासमय प्रेषित की जाएगी।

This offer of provisional appointment is, therefore, conditional upon the candidate's satisfying the requirements mentioned. In case, he don't fulfill the above conditions and he desires to be exempted from the above mentioned rules for any reason, he should make a representation in this behalf immediately. This offer of provisional appointment should, in that case, be treated as cancelled and a further communication will be sent to him in due course.

12 तेलंगाना/आंध्र प्रदेश राज्य के हैदराबाद/विशाखपट्टणम क्षेत्र के निरीक्षक के साझा संवर्ग में उम्मीदवार की परस्पर-वरिष्ठता लागू आदेशों के अनुसार तय की जाएगी।

The candidate's inter-se-seniority in the common cadre of Inspector of Hyderabad/Visakhapatnam Zone in the State of Telangana/Andhra Pradesh will be fixed according to the orders in force.

13. उम्मीदवारों को किसी भी समय तेलंगाना/आंध्रप्रदेश के संवर्ग नियंत्रण क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कहीं भी स्थानांतरित किया जा सकता हैं। तेलंगाना/आंध्रप्रदेश के बाहर किसी अन्य आयुक्तालय में उनकी तैनाती से संबन्धित किसी भी निवेदन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जाएगा।

The candidate is liable to be transferred anywhere within Cadre Control jurisdiction of Telangana/Andhra Pradesh at any point of time. Under no circumstances the request for posting to any other Commissionerate outside Telangana/Andhra Pradesh will be entertained.

14. उम्मीदवार जब कभी अपनी धार्मिक आस्था बदलते हैं, तो उसकी सूचना तत्काल नियुक्ति प्राधिकारी को दें।

The candidate should intimate the appointing authority as and when he changes his religious faith.

15. अगर उम्मीदवार रोजगार हेतु पहले ही आवेदन दे चुके हैं / किसी भी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में बैठ चुके हैं तो उन्हें ड्यूटी पर रिपोर्ट करते समय यह सूचना भी देनी चाहिए। अन्य सरकारी कार्यालयों में या कहीं और नियुक्ति के लिए उनके आवेदन पत्र को आगे अग्रेषित करने या रोक लगाने का पूर्ण अधिकार विभाग प्रमुख को होगा।

The candidate should also intimate at the time of reporting for duty, if he had already applied / appeared in any other competitive examination for employment. The Head of the Department has full discretion to forward or withhold any of his applications for appointment to other Government Offices or elsewhere.

16. यदि उम्मीदवार केन्द्र / राज्य सरकार / भारत सरकार या राज्य सरकार के नियंत्रित या स्वामित्व वाले किसी उपक्रम / स्वायत्त निकाय / विश्वविद्यालय / स्थानीय निकाय में कार्यरत हैं तो उन्हें संबन्धित नियोक्ता से प्राप्त उचित कार्यमुक्ति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

If candidate is employed with Central/State Government / an Undertaking owned by or controlled by the Government of India or a State Government / an autonomous body / University / local body, he should produce proper relief report from the employer concerned.

17. यदि उम्मीदवार पद त्यागने के इच्छुक हैं तो उन्हें अपने इस अभिप्राय के विषय में एक माह पूर्व नोटिस देना होगा और केंद्रीय कर एवं सीमा शुल्क के क्षेत्राधिकारी आयुक्त से लिखित अनुमित प्राप्त करनी होगी। ऐसा न करने पर वे प्रासंगिक नियमों में उल्लिखित अर्थदण्ड के लिए देनदार होंगे।

If the candidate desires to resign, he should give one month notice in advance about his intention to do so and must obtain written permission from the jurisdictional Commissioner of Central Tax and Customs. Failure to do so will render him liable to the penalties prescribed in the relevant rules.

18. यदि उम्मीदवार के पास कोई रोजगार नामांकन कार्ड है, तो कार्यभार ग्रहण करने / ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करते समय उसे संबन्धित नियोक्ता/प्रशासनिक प्राधिकारी को अभ्यर्पित करना होगा।

The candidate should surrender his Employment Registration Card held if any, to the Appointing / Administrative authority concerned, at the time of joining / reporting for duty.

19. यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग के होने का दावा करते हैं, तो उन्हें निर्धारित प्रारूप में (यथा संशोधित गृह मंत्रालय के का.ज्ञा. संख्या 42/21/49-एन.जी.एस. दिनांक 28.01.1952 में/ कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/28/94-Estt (Res) दिनांक 02.07.1997 में यथा अनुप्रयोज्य), उल्लिखित किसी भी न्यायिक / राजस्व प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। वे नोट करें कि उनकी नियुक्ति अनंतिम है और उचित माध्यमों द्वारा जाति / जनजाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के अधीन है तथा यदि उनका दावा झूठा पाया जाता है, तो उनकी सेवाएँ बिना कोई कारण बताए और झूठा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के लिए भारतीय दंड संहिता के अधीन आगे की कार्यवाही के प्रति पूर्वाग्रह के बिना तत्काल समाप्त कर दी जाएंगी। उन्हें नियुक्ति के पश्चात अपने धर्म परिवर्तन की जानकारी, यदि कोई हो तो, तत्काल ही संबंधित नियुक्ति / प्रशासनिक प्राधिकारियों को देनी चाहिए।

If the candidate claims to belong to a Scheduled Caste, Scheduled Tribe, EWS or Other backward Classes, has has to produce a certificate issued in the prescribed format (as prescribed in M.H.A.O.M No. 42/21/49-N.G.S, dated 28.01.1952 as amended /DOPT O.M.No. 36033/28/94-Estt (Res) dated 02.07.1997 as applicable) by any of the Judicial / Revenue authorities mentioned therein. He should note that his appointment will be provisional and is subject to verification of the Caste / Tribe certificate through proper channels and that if the claim is found to be false, his services will be terminated forthwith without assigning any reason and without prejudice to such further action that may be taken under the Indian Penal Code for production of false certificate. He should also intimate the change, if any, of his religion, after appointment, immediately to the Appointing/ Administrative Authorities concerned.

20. यदि उम्मीदवार के द्वारा की गई घोषणा या प्रस्तुत जानकारी गलत पाई जाती है या पाया जाता है कि उनके द्वारा जानबूझकर किसी महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाया गया है तो वे सेवाओं से हटाए जाने के और सरकार द्वारा आवश्यक समझे जाने वाली किसी कानूनी / आपराधिक कार्यवाही के दायी होंगे।

If any declaration given or information furnished by the candidate is proved to be false or if he is found to have willfully suppressed any material information, he will be liable for removal from service and other legal/criminal action as Government may deem necessary.

21. यह नियुक्ति प्रस्ताव पूर्ण रूप से अस्थायी है और संबन्धित जिला पुलिस अधिकारियों द्वारा जारी पूर्ववृत सत्यापन रिपोर्ट, संबन्धित जारीकर्ताओं द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र, विश्वविद्यालय / सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी शिक्षा प्रमाणपत्र के सत्यापन, पिछले कार्यस्थल के संबन्धित प्राधिकारी द्वारा जारी सतर्कता अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त होने के अधीन है। संबन्धित अधिकारियों से किसी भी प्रतिकूल / नकारात्मक रिपोर्ट प्राप्त होने के मामले में अनंतिम नियुक्ति पत्र रद्द कर दिया जाएगा और इसके परिणामस्वरूप कानूनी/आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी।

This offer of appointment is purely provisional and is subject to receipt of the antecedent verification report from the concerned District Police Authorities, Caste certificate from the concerned issuing authority, verification of certificate of Education issued by the University/Competent Authority and Vigilance Clearance Certificate issued by concerned authority at last place of working. In case any adverse report is received from the concerned Authorities, the provisional appointment letter will be cancelled forthwith and other legal/criminal action will also be taken, as a consequence.

22. उक्त कर्मचारियों के लिए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-1-खंड 1 दिनांक 22.12.2003 में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. 5/7/2003-ईईसीबी व पीआर दिनांक 22.12.2003 के तहत अधिसूचित नई पेंशन योजना लागू होगी। सी सी एस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 26(2) के तहत तकनीकी त्यागपत्र देकर उपरोक्त पद में पुनर्नियुक्ति पर कार्यभार ग्रहण करने वाले स्थाई सरकारी कर्मचारी के लिए यह लागू नहीं होगी।

The candidate will be governed by the New Pension Scheme as notified vide Government of India, Ministry of Finance, Notification no. 5/7/2003-EECB & PR dated 22.12.2003- published in Gazette of India, Extraordinary, Part I- Section-I, dated 22.12.2003. This will not apply to a permanent Government servant who joins the post on tendering Technical resignation under Rule 26(2) of CCS (Pension) Rules, 1972 on reappointment to the post.

23. यदि उम्मीदवारों को अनंतिम नियुक्ति आदेश की उपरोक्त नियम और शर्तें स्वीकार्य हैं तो उन्हें अपने मूल शैक्षिक / पीएच / जाति प्रमाण पत्र सहित हैदराबाद क्षेत्र को आबंटित उम्मीदवार अपर आयुक्त (सं.नि.प्रा.), प्रधान आयुक्त कार्यालय, केंद्रीय कर व सीमा शुल्क, हैदराबाद जी.एस.टी. आयुक्तालय के समक्ष दिनांक 29-12-2023 को या उससे पहले ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करना चाहिए। यदि वह निर्धारित तिथि पर या उससे पहले ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने में विफल होता है, तो इस अनंतिम नियुक्ति आदेश को उसे आगे कोई संदर्भ दिए बिना रद्द माना जाएगा।

The candidate allotted to Hyderabad Zone should report for duty before the Additional Commissioner (CCA), O/o the Principal Commissioner of Central Tax & Customs, Cadre Controlling Authority, Hyderabad GST Commissionerate, Hyderabad on or before 29.12.2023, along with Educational/PH/Caste certificates in original, if the above terms and conditions of provisional appointment order are acceptable to him. If he fails to report for duty on or before the stipulated date, his provisional appointment order will be treated as cancelled without making any further reference to him.

24. यह आदेश सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This order is issued with the approval of the Competent Authority.

(बी. रघु किरण)

(B. RAGHU KIRAN)

अपर आयुक्त

ADDITIONAL COMMISSIONER

प्रति To संबन्धित व्यक्तियों को The Individuals

प्रतिलिपि प्रस्तुत Copy submitted to:

- 1. मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क व केन्द्रीय कर, हैदराबाद क्षेत्र।
 The Chief Commissioner of Customs and Central Tax, Hyderabad Zone.
- मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क व केन्द्रीय कर, विशाखपट्टणम क्षेत्र।
 The Chief Commissioner of Customs and Central Tax, Visakhapatnam Zone.

प्रतिलिपि Copy to:

- 1. नोटिस बोर्ड /स्टॉक फ़ाइल Notice Board/Stock File.
- 2. कम्प्यूटर अनुभाग को आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु Computer Section for uploading in Official Website.